

12/2/16 बकुलाय पक्षकारान उपस्थित: प्रेषणीय
अधिकारी अवकाश होने से
प्रकरण दि 20/2/17 को पेश है।

20/2/17

बकुलाय पक्षकारान उपस्थित/अतिवक्ता राजकी
के लिये भौतिक बाहरी है अतः अन्तिम
अवसर दिया जाकर दि 3/4/17 को पेश हो

3.4.17

बकुलाय पक्षकारान उपस्थित: प्रेषणीय
अधिकारी अन्त्य कार्य होने से
प्रकरण दि 8/5/17 को पेश है।

प्रार्थी व उसके वकील उपस्थित/विपक्षी उपस्थित/
अनुपस्थित/प्रकरण को लोक अदालत में रेफर करने
हेतु दोनों पक्ष सहमत हैं। अतः प्रकरण लोक अदालत
में रेफर किया जाता है। पत्रान दिनांक 26/5/17
को लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहें।

20.5.17

द. सुभाष
फ. नं- 391 म

जी. पी. 4


अशा वकील अलग राजकास लखे अदालत ॥ न्याय
आपके द्वारे " अशा वकील शिवाजी मजाली
में पेश हुई। अशा वकील संख्या 4 से 3 रूप
उपस्थित, जिलेने अशा वकील 4 रूप
शामि हम तीनो से अशा वकील में हमी 01
वाहीजग एवं अशा वकील संख्या 5 से 5
अशा वकील संख्या 2 से फुा है, जिलेने
अपने फिला से लिले मी शामि में से लख
होने हेतु वाह द्वारे अशा वकील अशा वकील
अशा वकील से तीन से लख किया वादाह
अशा वकील संख्या अशा वकील में वाहीजग
अशा वकील द्वारा शामि अशा वकील अशा वकील
अशा वकील। शामि में अशा वकील संख्या 2 का
अशा वकील अशा वकील अशा वकील वाहीजग व
अशा वकील संख्या 5 से अपना लिले
अशा वकील संख्या 2 मी शामि में अशा वकील
अशा वकील अशा वकील संख्या 1 से 3

फर्द अहकाम

अलय उपखण्ड अधिकारी गोरखपुर
 विपक्षी पुष्पमाल
 सम् मुकदमा ६६, ५३, १८८ P.O. सिप पत्रावली संख्या ३५ सन् २०१६

क्रम संख्या	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
----------------	-----------------	---

के कथन अनुसार बाही का वह अंतर्गिह
 लबीदार किया जाता है एवं मजिमा मजिमा
 परिवार हक मजिमा लह लील जोगुन्दा की
 जमा बन्दी संवत् २०११ से १५ के खाल संख्या
 १११ से पंजील अलाजिपाल दिना २८ कुब
 रइवा ३१५०० हेर भूमि का खालेदार के महर
 लार् मिरस लख लखल के जहाल पर विमान
 खिये जाने हेतु लहलीलही जोगुन्दा को लमिख
 निमुमन किया जाता है व संख्या होने के पछांत
 वाह की अन्य धारा की सुनकर की जावेगी
 धारा वली वल्ले संख्या P.O. पछाना के दिना ६
 को पत्र ली


उप खण्ड अधिकारी
 गोरखपुर जिला, उदयपुर

डिक्री व मुकद्दमें इब्तादाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी..... श्री मुदेश कुमार कुमाल R.A.S.
 मुकदमा..... 24 सन्..... 2016 सीगह
 श्री पुष्पलाल पिला नन्दराम कुम्हार बनाम श्री गुलाब पिला जीवा कुम्हार
मियाली मजावरी वगैरह मियाली मजावरी

दावा बाबत..... 88, 188, 53 R.T. Act

यह मुकद्दमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने श्री मुदेश कुमार कुमाल R.A.S. के समक्ष प्रस्तुत हुआ।
 वादी की ओर से वकील श्री..... प्रतिवादी की ओर से वकील.....

.....की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौला मजावरी
परवार से मजावरी लखील गोगुन्दा श्री जमाखरी संवत्
2071 से 74 डे खाता संख्या 111 में वर्गीकृत अराजिमत खिल
28 कुल रकबा 3.1400 हे. इमि का खालेफान है, महा
हिले अनुमा संके के कर्जे को ध्यान में रखते हुए
अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी के लिये अन्त डे
आधार पर राजस्व कारलकारी राजस्व मजले 1955 के नियम
18 से 2 के अनुसार में विभाजन किये जाने लख लखीलदा
गोगुन्दा को इमिशन नियुक्त किया जाता है यह श्री अच धाराधो
की सुनवाई खरवा होने के पश्चात की जायेगी

और इस वाद के खर्चे लेखे..... रुपये की राशि..... आज की तारीख
 से वसूली की तारीख तक उस पर..... प्रतिशत की दर से ब्याज सहित.....
 द्वारा..... को दी जाये।

यह आज तारीख..... 26 मार..... 05 सन्..... 2017 को
 मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

मुदेश कुमार
 हस्ताक्षर न्यायाधीश
 उप खण्ड अधिकारी
 पद..... गोगुन्दा जिला, उदयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	पैसे	प्रतिवादी	रुपये	पैसे
वाद पत्र के लिये स्टाम्प स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे			स्टाम्प प्रार्थना पत्र स्टाम्प वकालात नामा प्रदर्शों के लिये स्टाम्प महनताना वकील) पर खर्चा गवाह फीस कमिश्नर आदेशित की तामील विविध खर्चे		